<u>प्रतिवेद्य</u>

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय आधिकारिता

<u>आपराधिक अपील संख्या ..... 2023</u>

<u>विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) संख्या 2063/2023 से उद्भूत</u>

जितेंद्र कुमार रोडे ... अपीलार्थी

बनाम

भारत संघ ... प्रत्यर्थी

<u>नि र्ण य</u>

<u>न्यायमूर्ति संजय करोल</u>

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उठते हैं वे हैं–पहला, विचारण के अभिलेखों की अनुपस्थिति में क्या अपीलीय न्यायालय दोषसिद्धि को बरकरार रख सकता था और जुर्माने की राशि को बढ़ा सकता था? और दूसरा, क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 385 के तहत प्रयुक्त भाषा को देखते हुए, वर्तमान स्थिति भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

3. ऊपर दी गई अपील दाण्डिक अपील संख्या 625/1999 में 23.11.2022 दिनांकित के इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ द्वारा पारित अंतिम निर्णय से उद्भूत है जिसके द्वारा विशेष न्यायाधीश, (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988) लखनऊ द्वारा अपीलार्थी को मुकदमा संख्या 7/1996 को बरकरार रखा गया।

4. वर्तमान वाद के प्रभावी निर्णय को सुविधाजनक बनाने के लिए, विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की सराहना करना आवश्यक है।

5. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय 04.12.1999 दिनांकित में अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (एतस्मिनपश्चात संक्षेप में पीसी अधिनियम) की धारा 7,13 (1) और 13 (2) के तहत दोषी ठहराया।अभिलेख पर साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, अधीनस्थ न्यायालय ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

> "अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त जे. के. रोडे ने उत्तर रेलवे, लखनऊ में सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में एक लोक सेवक के पद पर काम करते हुए मुख्य टिकट निरीक्षक श्री जय प्रकाश नारायण उपाध्याय से उनके खिलाफ जारी आरोप पत्र का निस्तारण के लिए दिनांक 03.05.95 को पांच सौ रुपये की मांग की थी और उन्हें दिनांक 03.05.95 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और उन्हें लोक सेवक के रूप में तैनात रहते हुए भ्रष्ट और अवैध तरीके से अपने लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जे.पी.एन. उपाध्याय से 500 रुपये (पांच सौ रुपये) प्राप्त किये थे। इस प्रकार, अभियुक्त के विरूद्ध पीसी अधिनियम 1988 की धारा 7,13 (1) और 13 (2) के तहत अपराध साबित होता है और वह इन आरोपों के लिए दंडित होने के लिए उत्तरदायी है। अभियुक्त जमानत पर

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

है और उसके जमानत बन्धपत्र को उन्मोचित किया जाता है।अभियुक्त को तुरंत हिरासत में लिया जाना चाहिए।"

(प्रभाव वर्धित)

6. इस प्रकार अभिलिखित करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को पी. सी. अधिनियम की धारा 7 के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास और पांच सौ रुपये के जुर्माने (इसके उल्लंघन में, छह महीने के अतिरिक्त कारावास) और पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत दो साल और पांच सौ रुपये के कठोर कारावास (इसके उल्लंघन में, छह महीने के अतिरिक्त कारावास) की सजा सुनाई।

<u>उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही</u>

7. दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय का विरोध करते हुए दिनांक 07.12.1999 को उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की अपील को स्वीकार कर लिया। 04.03.2016 दिनांकित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि विचारण के अभिलेख को बार–बार समन करने के बावजूद, संबंधित अदालत से कोई जवाब नहीं मिला और इसके परिणामस्वरूप, जिला न्यायाधीश को एक स्पष्टीकरण देने और अभिलेख को पुनः तैयार करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया।

7.1 अभिलेख से आगे पता चलता है कि "संपूर्ण अभिलेख खो गया है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है" और "पुनर्निर्मित दस्तावेजों" के रूप में भेजे गए दस्तावेज़ संबंधित विचारण न्यायालय अभिलेख तैयार नहीं करते हैं।वे न ही नियमों के अनुसार पाए गए और न ही केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा समर्थित पाए गए।

8. उच्च न्यायालय ने पूर्व में यह नोट करने के बावजूद कि अभिलेखों का पुनर्निर्माण नियमों के अनुसार नहीं था और अभिलेख पर सामग्री की अनुपलब्धता की स्वीकार्यता, जिसके लिए यहाँ अपीलकर्ता किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं था,

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दिनांक 23.11.2022 के आक्षेपित निर्णय के माध्यम से दोषसिद्धि को बरकरार रखा।महत्वपूर्ण बात यह है कि दलीलों के बावजूद , न्यायालय ने दोषसिद्धि के मेरिट पर चर्चा नहीं की।

9. हालांकि, दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था और वी.के. वर्मा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो[1] में इस अदालत के फैसले को ध्यान में रखते हुए, सजा को पहले से ही कम कर दिया गया था और जुर्माना बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये कर दिया गया था।

<u>वर्तमान अपील</u>

10. दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखे जाने से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर किया है।

अभिलेख पर यह स्पष्ट है कि अभिलेख को कभी भी पूरी तरह से पुनर्निर्मित नहीं किया जा सका, विशेष रूप से संबंधित जिला न्यायालय द्वारा। हालाँकि, न्यायालय ने आंशिक रूप से पुनर्निर्मित अभिलेख में पर्याप्तता पाई, जिसमें केवल कुछ दस्तावेज शामिल थे, जैसे कि प्राथमिकी और गुण–दोष के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा।

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस मुद्दे पर कानून तय हो गया है, और ऐसे अभिलेख की अनुपस्थिति में, दोषसिद्धि को दृढ़ आधार पर नहीं कहा जा सकता है और इसे दरकिनार किया जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने श्याम देव पाण्डेय व अन्य बनाम बिहार राज्य[2], यूपी राज्य बनाम अभय राज सिंह व अन्य[3] पर अवलम्ब लिया।

---

1 (2014) 3 SCC 485, Paragraphs 8 – 13.

2 (1971) 1 SCC 855

3 (2004) 4 SCC 6

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

उन्होंने आगे उच्च न्यायालय के फैसलों अर्थात् दिल्ली उच्च न्यायालय के रमेश कौशिक बनाम दिल्ली राज्य[4]; इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रघुवीर सहाय और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[5], अवधेश राय और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[6] और तेज पाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[7] पर अवलम्ब लिया।

इस न्यायालय द्वारा विचार

12. किसी भी तरह का दृढ़ विश्वास किसी व्यक्ति के चरित्र को स्थायी रूप से चिह्नित करता है।इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में यह अनुचित होगा।यह कहना नहीं है कि 1995 तक पाँच सौ रुपये एक छोटी या महत्वहीन राशि थी; हालाँकि, जब आवश्यक सामग्री की अनुपस्थिति में के कारण अपील की संभावना समाप्त हो जाती है, तो मामले का जायजा लेने और फिर यथास्थिति बनाए रखने या पलटने के लिए जिसके अवलोकन और विचार की आवश्यकता होती है, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए, जब वह किसी भी तरह से इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

13. हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उच्च न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय के अभिलेख की अनुपलब्धता और दोषसिद्धि को बरकरार रखना, इसके अभाव के बावजूद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित अभियुक्तों के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

1979 की दाण्डिक अपीलीय संख्या. 786 6 1984 की दाण्डिक अपीलीय संख्या. 346 7 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी 6581

---

4 2022 SCC Online Del 4185

5 Criminal Appeal No.786 of 1979

6 Criminal Appeal No.346 of 1984

7 2015 SCC Online All 6581

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

14. यह सुविचारित है कि आपराधिक अभियोजन में "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" का पालन करना एक पवित्र आवश्यकता है।

15. न्यायमूर्ति एम. एच. होसकोट बनाम महाराष्ट्र राज्य[8] (तीन न्यायाधीशों की पीठ) में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने न्यायालय के लिए लिखते हुए यह मत व्यक्त किया किः

> "11. संक्षेप में, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में पावधान है, सत्र न्यायालय से उच्च न्यायालय में पहली अपील अनुच्छेद 21 में इस मूल्य को बरकरार रखती है।"

16. यह भी देखा गया कि अपील के अधिकार को फलदायी बनाने वाला प्रत्येक कदम अनिवार्य है, और प्रत्येक कार्रवाई या निष्क्रियता जो इसे बाधित करती है, अनुचित और असंवैधानिक है।

17. मनु शर्मा बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)[9] (दो न्यायाधीशों की पीठ) के मामले में इस न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया में विचारण में निष्पक्षता को शामिल किया जाएगा।

न्यायालय अभियुक्त को सभी दस्तावेजों और बयानों को प्राप्त करने और मामले से संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है।
18. यदि विचारण चरण में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का अधिकार मौजूद है तो यह एक स्वाभाविक परिणाम है कि अपील में बैठे उच्च न्यायालय को उन दस्तावेजों से लाभ उठाना चाहिए।इस न्यायालय की सुविचारित राय में, यह उपरोक्त पवित्र आवश्यकता की मांग है।

---

8 (1978) 3 SCC 544

9 (2010) 6 SCC 1

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

19. जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, वर्तमान मामले में प्रयासों के बावजूद गवाह के बयान, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान जैसे दस्तावेज न तो उपलब्ध हैं और न ही उनका पुनर्निर्माण किये जाने योग्य है।इसलिए, ऐसे दस्तावेजों की अनुपस्थिति में में दोषसिद्धि को बनाए रखना कानून और निष्पक्षता सम्यक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं कहा जा सकता है।

20. एक बार जब अनुच्छेद 21 के तहत किसी अधिकार का उल्लंघन स्थापित हो जाता है, तो यह निस्संदेह दोषसिद्धि को दरकिनार करने के लिए पर्याप्त है।फिर भी, इस संबंध में कानून की प्रक्रिया क्या कहती है, इसकी सराहना करना आवश्यक है।आखिरकार, यह नहीं कहा जा सकता कि निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के अभाव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन अनुच्छेद 21 की पवित्रता का अपमान है। इस आशय के लिए, एम. एच. होसकोट (ऊपरोक्त) की पीठ ने कहाः

> "24. हम मेनका गांधी के महत्व का अनुसरण कर सकते हैं और निष्कर्ष को स्पष्ट कर सकते हैं।मेनका गांधी मामले में यह निर्धारित किया गया है कि निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया के बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कम नहीं किया जा सकता है।यह सुस्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि एक कैदी, जो न्यायालय की सजा पाने से अपनी स्वतंत्रता से वंचित है, लेकिन इस तरह के फैसले के खिलाफ अपील करने का हकदार है, अनुच्छेद 21 के तहत अपने संरक्षण के हिस्से के रूप में और जैसा कि अपील करने के अपने वैधानिक अधिकार में निहित है, अपनी अपील तैयार करने और बहस करने के लिए अधिवक्ता लेने के अधिकार का दावा कर सकता है।"

21. वर्तमान मामला दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 385 द्वारा शासित होता है, जिसे संदर्भ में आसानी के लिए इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता हैः

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"385. अपीलों की सुनवाई की प्रक्रिया संक्षिप्त रूप से खारिज नहीं की जाती है।

– (1) यदि अपीलीय न्यायालय अपील को संक्षिप्त रूप से खारिज नहीं करता है, तो वह उस समय और स्थान की सूचना देगा जिस पर ऐसी अपील की सुनवाई की जाएगी –

(i) अपीलार्थी या उसके वकील को;

(ii) ऐसे अधिकारी को जिन्हें राज्य सरकार इस ओर से नियुक्त करे;

(iii) यदि अपील शिकायतकर्ता को शिकायत पर स्थापित मामले में दोषसिद्धि के निर्णय से है;

(iv) यदि अपील अभियुक्त को धारा 377 या धारा 378 के तहत है, और ऐसे अधिकारी, शिकायतकर्ता और अभियुक्त को अपील के आधार की एक प्रति भी प्रस्तुत करेगी।(2) अपीलीय न्यायालय तब मामले के अभिलेख के लिए भेजेगा और पक्षों को सुनेगा, यदि ऐसा अभिलेख पहले से ही उस न्यायालय में उपलब्ध नहीं है:बशर्ते कि यदि अपील केवल सजा की सीमा या वैधता के बारे में है, तो न्यायालय अभिलेख भेजे बिना अपील का निस्तारित कर सकता है।

(3) जहां किसी दोषसिद्धि से अपीलार्थी का एकमात्र आधार सजा की कथित गंभीरता है, वहां अपीलार्थी न्यायालय की अनुमति के अलावा, किसी अन्य आधार के समर्थन में सुनवाई नहीं करेगा।"

(प्रभाव वर्धित)

22. प्रावधान को केवल पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब अपीलों को सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जाता है, अपीलीय न्यायालय उन मामलों को छोड़कर

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड की मांग करेगा जहां विचार के लिए प्रश्न एक वाक्य की वैधता है। निस्संदेह अपील न्यायालय पर यह बाध्यता है कि वह अभिलेख मांगे और फिर अपने समक्ष किसी मामले के गुण–दोष की जांच करने के लिए आगे बढ़े।जैसा कि प्रथमदृष्टया देखा जा सकता है, हमारे सामने ऐसा नहीं है।

23. इस मुद्दे पर पूर्व के मामलों में से क्वीन इंप्रेस बनाम खिमत सिंह[10] के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय है, जिसमें जिला न्यायाधीश खोए हुए अभिलेखों का पता लगाने या उन्हें खोजने में विफल रहा। न्यायालय ने कहा कि अभिलेखों के इस नुकसान ने अपीलकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई का अधिकार खो दिया है, जिसका वह हकदार है।ऐसी स्थितियों में, नए सिरे से विचारण का आदेश देने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं बचा है।खिमत सिंह (उपरोक्त) के निर्णय के बाद अभय राज सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

24. उपर्युक्त आवश्यकता धारा 423 के तहत पुरानी संहिता (दंड प्रक्रिया संहिता, 1898, जिसे अब निरसित कर दिया गया है) में भी पाई जाती है।1898 संहिता की धारा 423, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 385 से मेल खाती है।

25. प्रिवी काउंसिल ने किंग–एम्पेरर बनाम दाहू राउत[11] में कहा कि जहां एक सजा के खिलाफ अपील की जाती है, एक बार सारांश बर्खास्तगी विफल हो जाती है, धारा 423 के रिकॉर्ड के लिए भेजने के प्रावधान स्पष्ट रूप से "अनुमति" हैं, और उस स्तर पर संशोधन के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। यह इस न्यायालय द्वारा श्याम देव पांडे (उपरोक्त) में यह देखते हुए दोहराया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख इस प्रकार हैः

---

10 1889 A.W.N. 55

11 AIR 1935 PC 89

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"18. धारा 423 पर आते हुए, जिसे पहले ही ऊपर उद्धृत किया जा चुका है, यह मेरिट के आधार पर अपील का निस्तारण करने में अपीलीय न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है।अपीलीय न्यायालय के लिए यह अनिवार्य है कि वह मामले के अभिलेख के लिए भेजे, यदि यह पहले से ही न्यायालय के समक्ष नहीं है।इस आवश्यकता का अनुपालन करना आवश्यक है ताकि न्यायालय न केवल निर्णय के संदर्भ में बल्कि उन अभिलेखों के संदर्भ में भी अपील किए गए आदेश या निर्णय की शुद्धता पर निर्णय ले सके जो निर्णय के आधार होंगे।निर्णय में दर्ज निष्कर्षों की शुद्धता, उनके खिलाफ किए गए विरोध के आधार पर, साक्ष्य मौखिक और दस्तावेजी और उद्देश्य के लिए प्रासंगिक अन्य सामग्रियों के संदर्भ के बिना निर्णय नहीं लिया जा सकता है।"इस तरह के अभिलेख" का संदर्भ "इस तरह के अभिलेख को देखने के बाद" अपीलीय न्यायालय द्वारा भेजे गए मामले के अभिलेख में है।"

(प्रभाव वर्धित)

26 बिश्वनाथ घोष बनाम पश्चिम बंगाल राज्य[12] (दो न्यायाधीशाधीशों की पीठ) के मामले में इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि एक अपीलीय न्यायालय अपने समक्ष अभिलेख और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के बिना दोषसिद्धि की अनुमति देना न्याय का घोर अवहेलना है।

27. इस न्यायालय ने अभय राज सिंह (उपरोक्त) (दो न्यायाधीशों की पीठ) में आईपीसी 1860 की धारा 302 के तहत विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर विचार करते हुए मामले को उच्च न्यायालय द्वारा नए सिरे से विचार करने के लिए भेजते हुए अवधारित किया:

---

12 (1987) 2 SCC 55

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"8. कई उच्च न्यायालयों द्वारा यह लगातार विचार रखा गया है कि जब अभिलेख आग या प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाते हैं, तो पुनर्निर्माण का आदेश दिया जाना चाहिए।क्वीन एम्प्रेस बनाम खिमत सिंह [1889 ए. डब्ल्यू. एन. 55] में यह विचार रखा गया था कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (संक्षेप में "पुरानी संहिता") की धारा 423 (1) के प्रावधानों ने अदालत के लिए सुनवाई के समय अभिलेख प्राप्त करना और उसकी जांच करना अनिवार्य बना दिंया था।जब ऐसा करना सभव नहीं था , तो एकमात्र उपलब्ध रास्ता पुनर्निर्माण के निर्देश की थी।उक्त दृष्टिकोण को छह दशक से भी पहले सेवुगापेरुमल रे [ए. आई. आर. 1943 मैड 391 (2) 44 क्रि. एल.जे. 611) में दोहराया गया था,:44 क्री. एल. जे. 611)इसके बाद भी कई उच्च न्यायालयों ने इस विचार को दोहराया है।

9. उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक पहलुओं और विचारों को ध्यान में नहीं रखा और अचानक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पुनर्निर्माण केवल इसलिए संभव नहीं था क्योंकि सत्र न्यायाधीश से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। पुनर्निर्माण का आदेश दिनांक 1–11–1993 को दिया गया था और उच्च न्यायालय का निर्णय दाण्डिक अपीलीय सं 1970/1979 दिनांक 25–2–1994 में।आदेश का पालन दाण्डिक अपीलीय सं 1962/1979 का निस्तारण दिनांक 16–8–1995 को किया गया।यह स्पष्ट नहीं है कि उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय से अभिलेखों के पुनर्निर्माण के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता क्यों नहीं जताई ; और/या स्वयं सकारात्मक दिशा–निर्देश जारी करके पहल करता है कि कैसे, तरीकों और प्रयासों की प्रकृति, प्रयासों और कार्य को प्रभावी ढंग से न्याय के सर्वोत्तम हित में उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और अंततः किसी भी चूक से न्याय की अवहेलना से बचने के लिए किया जाता है, इस संबंध

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

में निष्क्रियता या अनुचित या असावधानीपूर्ण कार्रवाई; विशेष रूप से तब जब उच्च न्यायालय द्वारा लगभग एक दशक तक आवश्यक आदेश पारित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई जब उसे रिकॉर्ड के नष्ट होने की सूचना मिली।यदि उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया मार्ग संदिग्ध व्यक्तियों और न्यायाधीश के विरोधियों को प्रोत्साहित करेगा और कानून का उल्लंघन करने वालों को न्यायाधीश के सामान्य और सामान्य क्रम में पर्दे के पीछे आने वाले असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर काम करने की अनुमति देगा।

10. इसलिए, हम उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध करते हैं और मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजते हैं।इस मोड़ पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थीगणों में से एक i.e. इस न्यायालय के समक्ष अपील विचाराधीन रहने के दौरान ओम पाल की मृत्यु हो गई है।उच्च न्यायालय अभियोजन एजेंसी के साथ–साथ बचाव पक्ष और उनके संबंधित अधिवक्ता की सहायता से सभी उपलब्ध या संभावित स्रोतों से हमारे निर्णय की प्राप्ति की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर अभिलेखों के पुनर्निर्माण का निर्देश देगा।यदि यह संभव है कि अभिलेखों का पुनर्निर्माण किया जाए ताकि उच्च न्यायालय स्वयं संहिता की धारा 386 के तहत परिकल्पित तरीके से अपीलों की सुनवाई और निस्तारण कर सके, तो अपीलों की पुनः सुनवाई करें और उनके गुण–दोष के आधार पर और कानून के अनुसार उनका निस्तारण करें।यदि यह पाया जाता है कि पुनर्निर्माण व्यावहारिक नहीं है, लेकिन पुनर्विचार का आदेश देकर न्यायाधीश के हित को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है–उस रास्ते को अपनाएं और फिर से मुकदमे की सीधी सुनवाई करें– और उस चरण से कानून अपना सामान्य काम करेगा।यदि केवल उच्च न्यायालय को अपील सुनने और निपटाने की सुविधा के लिए

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

पुनर्निर्माण संभव नहीं है और सत्र न्यायालय द्वारा पुनर्परीक्षण और नए न्यायनिर्णयन की आगे की प्रक्रिया भी अत्यंत महत्वपूर्ण बुनियादी अभिलेखों के नुकसान के कारण असंभव हो गई है – उस मामले और स्थिति में ही, आक्षेपित निर्णय में दिए गए निर्देश लागू होंगे और मामला बंद हो जाएगा।अपीलों का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।"

(प्रभाव वर्धित)

28. हाल ही में, इस न्यायालय ने धनंजय राय उपनाम गुड्डू राय बनाम बिहार राज्य[13] (दो न्यायाधीशों) में बानी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[14] में दिए गए एक निर्णय पर निम्नलिखित रूप में ध्यान दिया है–

"14. हमने इस न्यायालय के उक्त दो निर्णयों में व्यक्त विचार पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हम कह सकते हैं कि श्याम देव [(1971) 1 SCC 855 : 1971 SCC (Cri) 353 : AIR 13 2022 SCC Online 880 14 (1996) 4 SCC 720 1 3 1971 SC 1606] मामले में एक छोटे से स्पष्टीकरण को छोड़कर जो हम उल्लेख करना आवश्यक समझते हैं वह यह विचार किया गया–

धारा 385 की सरल भाषा यह स्पष्ट करती है कि यदि अपीलीय न्यायालय संक्षिप्त बर्खास्तगी के लिए अपील को उपयुक्त नहीं मानता है, तो उसे अभिलेख के लिए 'अवश्य' बुलाना चाहिए और धारा 386 आदेश देती है कि अभिलेख प्राप्त होने के बाद, अपीलीय न्यायालय अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को सुनने के बाद अपील का निस्तारण कर सकता है। इसलिए, धारा 385–386 की सरल भाषा गैर–अभियोजन के लिए अपील को खारिज करने पर विचार नहीं करती है।इसके विपरीत,

---

13 2022 SCC Online 880

14 (1996) 4 SCC 720

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

संहिता में अभिलेख के अवलोकन और जांच के बाद मेरिट के आधार पर अपील के निस्तारण की परिकल्पना की गई है।कानून स्पष्ट रूप से उम्मीद करता है कि अपीलीय न्यायालय मेरिट के आधार पर अपील का निपटारा करेगा, न केवल निर्णय में निचली अदालत के तर्क पर विचार करके, बल्कि अभिलेख पर साक्ष्य के साथ तर्क की जांच करके इस दृष्टिकोण से कि निचली अदालत द्वारा दर्ज तर्क और निष्कर्ष अभिलेख पर सामग्री के अनुरूप हैं।"

(प्रभाव वर्धित)

29. समान परिस्थितियों वाले मामले में, हम नोटिस करते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीता राम और अन्य बनाम राज्य[15] में यह अवधारित किया है कि जब पूरा अभिलेख खो गया था या नष्ट हो गया था और अभिलेख का पुनर्निर्माण संभव नहीं था, तो अपीलीय न्यायालय पुनः परीक्षण का आदेश देगा, बशर्ते घटना की समय अंतराल तिथि और अपील की सुनवाई की तिथि कम हो। यदि यह एक लंबी प्रक्रिया है और/या धारा 161 के तहत गवाहों की प्राथमिकी, बयान और अन्य प्रासंगिक कागजात उपलब्ध नहीं हैं, तो अपीलीय न्यायालय को फिर से सुनवाई का आदेश नहीं देना चाहिए।

30. विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए कई निर्णयों में , इस प्रभाव के समान विचार व्यक्त किया गया है कि निचली अदालत के अभिलेख के अभाव में दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।सीता राम (उपरोक्त) ध्यान दें में रखते हुए, अपराध की घटना और अपील पर अंततः निर्णय लेने के बीच के समय को ध्यान में रखते हुए, इन अदालतों ने माना है कि आवश्यक दस्तावेजों जैसे कि प्राथमिकी या गवाह के बयानों की अनुपस्थिति में में , एक पुनर्विचारण को भी न्यायाधीश के उद्देश्यों को पूरा करने वाला नहीं कहा जा सकता है। [खलील

15 1981 Cr.LJ, 65

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[16]; वीर पाल बनाम राज्य[17]; हीरा लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[18] और भुंडा और अन्य बनामउत्तर प्रदेश राज्य[19]]

31. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय के आक्षेपितत निर्णय में सी. बी. आई. का बयान दर्ज किया गया है कि रिकॉर्ड "खो गए हैं"।"पुनर्निर्मित" अभिलेख में निम्नलिखित शामिल हैंः

i. आई. आर. सी. 18 (ए)/95 एल. के. ओ. की प्राथमिकी;

ii.श्री जे. पी. एन. उपाध्याय की शिकायत दिनांक 03.05.1995 उपाध्याय, सीआईटी, वाराणसी (2 पृष्ठ);

iii.24.03.1995 (एक पृष्ठ) दिनांकित S.F. II की फोटोकॉपी

iv. प्रीट्रैप ज्ञापन दिनांक 3.5.95 (4 पृष्ठ);

v. रिकवरी मेमो दिनांक 3.5.1995 (5 पृष्ठ)

vi. खोज सूची दिनांक 3.5.95 (5 पृष्ठ);

vii. श्री जे. पी. एन. उपाध्याय के आरोप पत्र (एस. एफ. ए. आई.) और नोटशीट वाली एक फाइल। (पृष्ठ 1 से 6 और नोटशीट पीपी2);

viii.खोज सूची दिनांक 4.5.95 (1 पत्रक);

ix. स्थल योजना दिनांक 3.5.95 (1 पत्रक);

---

16 1986 SCC OnLine All 211

17 1999 SCC OnLine All 1348

18 1999 SCC OnLine All 1392

19 2001 SCC OnLine All 864

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

x. विविध मसौदा आरोप पत्र आदि वाले पत्र (7 शीट);

xi.मंजूरी आदेश दिनांक 28.12.95

धारा 385 की उप–धारा 2 में यह अपेक्षा की गई है कि न्यायालय द्वारा प्राप्त अभिलेखों के आलोक में पक्षों की सुनवाई की जाए।दस्तावेजों में निस्संदेह मेरिट के आधार पर अपील को ठीक से समझने के लिए आवश्यक दस्तावेज शामिल करने की आवश्यकता होती है।यहां तक कि अभियोजन और बचाव दोनों गवाहों के बयानों को भी फिर से तैयार नहीं किया गया है और अदालत के लिए उपलब्ध नहीं हैं।मेरिट के आधार पर अपील के निस्तारण की यह स्थिति अभिलेख के अवलोकन के बाद ही बनी सिंह (उपरोक्त) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा रखी गई है।

32. हमारे सुविचारित विचार में, अधीनस्थ न्यायालय, पारस्परिक रूप से विरोधाभासी दृष्टिकोण अपनाते हुए, अभियुक्त को सजा सुनाने के गुण–दोष के आधार पर अपील पर निर्णय लेने के लिए यह भूलते हुए आगे बढ़ा कि चुनौती भी दोषसिद्धि के लिए थी।और फिर भी अपील के गुण–दोष पर ध्यान नहीं दिया, दोषसिद्धि के निर्णय को विशिष्ट चुनौती दी।पूरा दृष्टिकोण अवैध और गलत है।सबसे पहले, यह देखा जाता है कि अभिलेख गायब था, और फिर यह अपीलार्थी पर इसे प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी डालता है।

33. उपरोक्त चर्चा के आलोक में अपील में अभियुक्त अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिलेख का अवलोकन करने का अधिकार रखता है और इसलिए, केवल उस पर ध्यान देकर एक दृढ़ विश्वास को बनाए रखना कि अभियुक्त के अधवक्ता के पास अपील दाखिल करने के समय अभिलेख नहीं होना "संदिग्ध" है और जैसा कि उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है यह कि अपील अभिलेख को देखे बिना

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

दायर की गई होगी, "कोई भी विश्वास नहीं कर सकता", सही नहीं है। अपील अधीनस्थ न्यायालय का कार्य दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर निर्भर होना नहीं है, बल्कि उसके समक्ष उपलब्ध अभिलेख के आधार पर, जो उसके समक्ष अधीनस्थ न्यायालय से विधिवत बुलाए गए हैं और उसके समक्ष दिए गए तर्कों के आधार पर, उस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है।

34. तथ्यों के दृष्टिगत, प्रश्नगत कथित अपराध 21.3.1995 को किया गया था, और विचारण न्यायालय का निर्णय 7.12.1999 को दिया गया था। अपराध को 28 साल से अधिक समय बीत चुका है। जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, अधीनस्थ न्यायालयों के प्रयासों के बावजूद, प्रासंगिक अधीनस्थ न्यायालयों के रिकॉर्ड का पुनर्निर्माण नहीं किया जा सका है। इसलिए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, पुनः विचारण का आदेश देना न्यायहित में नहीं है और यह किसी भी सार्थक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा। न्यायालय द्वारा बीत चुके समय को ध्यान में रखा जाना चाहिए, और **अभय राज सिंह (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा दी गई चेतावनी को मानकर जैसा कि **सीताराम (उपरोक्त)** के मामले में ठीक ही किया गया था, हम इस पर बल दे सकते हैं।

<u>निष्कर्ष</u>

35. अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों के संरक्षण में निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया की अनुपस्थिति में किसी भी प्रतिबंध से स्वतंत्रता की सुरक्षा शामिल है। निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया में अपील दायर करने वाले व्यक्ति के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर सवाल उठाने का अवसर शामिल है। ऐसा तभी किया जा सकता है जब रिकॉर्ड अपील न्यायालय के पास उपलब्ध हो। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 385 का अधिदेश है। इसलिए, इस न्यायालय के

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

सुविचारित दृष्टिकोण में, एक सीधा सूत्र निर्धारित करना विवेकसम्मत नहीं है, हम मानते हैं कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर कुछ मामलों में धारा के जनादेश का पालन न करने के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, जो हम वर्तमान मामले में पाते हैं।

36. धारा 385 की भाषा से पता चलता है कि इसके द्वारा शासित अपील न्यायालय को संबंधित अधीनस्थ न्यायालय से मामले के रिकॉर्ड की मांग करना चाहिए। यही एक दायित्व है, एक कर्तव्य के साथ शक्ति, और ऐसे रिकॉर्डों के परिशीलन के बाद ही किसी अपील पर निर्णय लिया जाएगा।

37. उपरोक्त के मद्देनजर, अपील को स्वीकृति प्रदान की जाती है। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988), लखनऊ द्वारा वाद सं. 7/1996 में पारित 07.12.1999 दिनांकित आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि, उसकी विषयवस्तु को अपास्त किया जाता है।

38. आक्षेपित निर्णय में आरोपी को बढ़े हुए जुर्माने के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। उपरोक्त को देखते हुए, जुर्माना, चाहे वह किसी भी राशि का हो, यदि जमा किया गया है, तो अपीलकर्तार्थी को वापस किया जाना चाहिए।

39. वर्तमान अनुमति याचिका से हटने से पहले एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए, यानी रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण। प्रौद्योगिकी, वर्तमान समय में तेजी से विवाद समाधान और निर्णय की प्रणालियों के साथ जुड़ गई है, जो इस ओर इशारा करती है, जिससे प्रौद्योगिकी और कानून के बीच पूरक और अनुपूरक दोनों तरह की परस्पर क्रिया होती है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

40. दिनांक 24.9.2021 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विद्वत ई–समिति ने डिजिटल संरक्षण के लिए एक एस.ओ.पी. जारी किया। डिजिटलीकरण प्रक्रिया के चरण–दर–चरण कार्यान्वयन में अठारह चरण शामिल हैं। मुख्य रूप से, इसके लिए सभी उच्च न्यायालयों को न्यायिक डिजिटल रिपॉजिटरी (जे. डी. आर.) के साथ–साथ इसके लिए मानकीकृत प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है; प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक डिजिटलीकरण प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी है ताकि इस मामले में दिन–प्रतिदिन के आधार पर प्रगति की निगरानी की जा सके; विशेष सेवाओं के लिए वेंडर के साथ अनुबंधों का प्रबंधन करना सेल का काम है; उच्च न्यायालयों को हस्तांतरित किए गए डेटा पर नज़र रखने और जिला न्यायालयों को स्थानांतरित किए गए रिकॉर्ड के प्रत्येक सेट के लिए प्राप्तियों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन डेटा ट्रैकिंग प्रणाली; जिला न्यायालयों के पास एक स्वतंत्र रिकॉर्ड बनाए रखते हुए मासिक आधार पर उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किए गए सभी डेटा का बैकअप होना चाहिए।

41. इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि यदि विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड ठीक से संरक्षित किए जाते, तो वर्तमान अपील में यह मुद्दा उत्पन्न नहीं होता कि क्या उच्च न्यायालय निचली अदालत के अभिलेख का अवलोकन किए बिना दोषसिद्धि को बरकरार रख सकता था। इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है कि जारी किए गए एस.ओ.पी. के अनुसार, विशेष सेवा प्रदान करने वाली निजी संस्थाओं को अनुबंधित किया गया है, और इसलिए इस तरह के रिकॉर्ड के महत्व और अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए, न्यायिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाने वाले सभी रिकॉर्डों की उचित सुरक्षा और नियमित अद्यतनता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही की एक मजबूत प्रणाली विकसित की जानी चाहिए और इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

42. इसलिए, यह न्यायालय निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझता हैः

1. उच्च विचारणों के महानिबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि आपराधिक मुकदमे के साथ–साथ दीवानी मुकदमों के सभी मामलों में , सभी जिला न्यायालयों में अभिलेखों का डिजिटलीकरण विधिवत किया जाना चाहिए, अधिमानतः प्रक्रिया विधि के तहत अपील दायर करने के लिए निर्धारित समय के भीतर।

2. संबंधित जिला न्यायाधीश, एक बार डिजिटलीकरण की प्रणाली के साथ–साथ डिजिटल रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण की प्रणाली उनके न्यायाधीश रहते लागू हो जाने पर , यह सुनिश्चित करें कि इस तरह के डिजिटल रिकॉर्ड का जल्द से जल्द सत्यापन किया जाए।

3. उपयुक्त निर्देशों के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों को समय –समय पर भेजी जाने वाली रिपोर्टों के साथ डिजिटल रिकॉर्ड के रजिस्टर का निरंतर अद्यतन रिकॉर्ड रखा जाएगा।

4. अन्तःवर्ती आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किया जाता/जाते हैं।

.....

[न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी]

.....

[न्यायमूर्ति संजय करोल]

तारीखः 24 अप्रैल, 2023;

स्थानः नई दिल्ली

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"